न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 663 / 2024

बिरजूराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल जरिये पत्नी संजु पत्नी बिरजूराम जाति मेघवाल निवासी धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– वादी

बनाम

1. मुन्नी पुत्री सेवाराम
2. मनेष पुत्री सेवाराम
3. श्रीचन्द पुत्र सेवाराम
4. सुलोचना पुत्री सेवाराम
5. हरीश पुत्र सेवाराम
6. पोकर पुत्र हनुमान
7. लादुड़ी पत्नी हनुमान
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण धोलाखेड़ा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
8. सुमिता देवी पत्नी जोगेश्वर जाति मेघवाल निवासी भैरूपुरा जिला सीकर (राजस्थान)
9. तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

– प्रतिवादीगण

वकील वादी :– एडवोकेट दर्शिल शर्मा।
वकील प्रतिवादीगण :– एडवोकेट राजेन्द्र मारवाल, ओमप्रकाश शर्मा, सुरेश महला

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 05/03/26

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 932/657 रकबा 2.88 है0 व भूमि खसरा नम्बर 596, 868/596 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 1.8600 है0 व 0.0900 है0 कुल रकबा 1.9500 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी अपने हिस्से का विधिवत् विभाजन चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। सभी ने मौके पर अपनी भूमि का मौखिक विभाजन कर रखा है और अपने हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। कब्जा संबंधित कोई विवाद वादी व प्रतिवादीगण के मध्य नहीं है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि में नाजायज मांग कर रहा है। उक्त भूमि हमारी है तुम उक्त भूमि को छोड़कर चाल जावे। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से को बेचान करना चाहते हैं जिसको लेकर वादी को भूमि की सीमा को लेकर झगडे करते रहते है। वादी अपनी भूमि को आवश्यक सुधार करवाना चाहता है। किन्तु प्रतिवादीगण धमकी दे रहे हैं कि उक्त जमीन में तेरा कोई लेना देना नहीं है। वादी अब अपनी भूमि पर गया तो प्रतिवादीगण उक्त भूमि की सींव काटकर अपनी भूमि में शामिल अपनी भूमि में शामिल कर रहे थे तथा धमकी दी कि तु जो चाहे वो कर ले उक्त भूमि में तुझे घुसने नहीं देंगे आदि आदि कहा। वाद कारण दिनांक 20.05.2004 को प्रतिवादीगण द्वारा एलानिया धमकी तथा वादी को अपनी भूमि में नहीं घुसने देना जो आज दिन तक बरकरार है व लगातार बना हुआ है।

सहायक कलेक्टर
झुंझुनूं (राज.)

इस कारण वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अन्त में वाद पत्र पेश कर वादी ने निवेदन किया किया कि वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 932/657 रकबा 2.88 है0 व भूमि खसरा नम्बर 596, 868/596 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 1.8600 है0 व 0.0900 है0 कुल रकबा 1.9500 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत् विभाजन कर इसी अनुसार वादी को पृथक से खाता व राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद करवाने का वादी अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 10.12.2025 को वाद वादी तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 3 को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/119 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी संख्या 3 को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्तागण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 3 को न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

वाद वादी तथा प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 3 सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 932/657 रकबा 2.88 है0 व भूमि खसरा नम्बर 596, 868/596 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 1.8600 है0 व 0.0900 है0 कुल रकबा 1.9500 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/119 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम वाद डिक्री

उनवान बिरजुराम बनाम मुन्नी वगैरह

मुकदमा नं. : 663 / 2024 दिनांक : 05/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश हो़कर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05/03/26 के अनुसार वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति में वाद वादी तथा प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 3 को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 932 / 657 रकबा 2.88 है0 व भूमि खसरा नम्बर 596, 868 / 596 कुल खसरा 2 का रकबा क्रमशः 1.8600 है0 व 0.0900 है0 कुल रकबा 1.9500 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2026 / 119 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)